XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
फोरेस्ट अपील वाद संख्या–02/2001

अशोक कुमार गुप्ता, पिता–श्री छेदी लाल साह, स्थायी निवासी सा0–मड़वा, थाना–बिहपुर, जिला–भागलपुर, वर्तमान पता–सा0 रामनगर, थाना–के0हाट, जिला–पूर्णियाँ

..... आवेदक

बनाम्

सरकार

..... विपक्षी

आदेश

आवेदक द्वारा यह वाद डिभिजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक–03.12.2000 ई0 को जप्ती वाद संख्या–28/2000 में ट्रक BR-11A-6669 को राजसात (जप्ती) करने के विरूद्व दायर किया गया है। आवेदक का कथन है कि यह वाद थाना प्रभारी, के0 नगर द्वारा गस्ती के क्रम में दिनांक 21.06.2000 ई0 को खैर लकड़ी से लदी हुई अवैध ट्रक, जो सड़क किनारे पलटी हुई थी को जप्त करने के वाद प्रारंभ किया गया। ट्रक का वास्तविक नम्बर प्लेट हटाकर दुसरा नम्बर प्लेट UP14B-5569 लगा हुआ था। आवेदक पकड़ी गई ट्रक, जिसका वास्तविक नम्बर BR-11A-6669 है का मालिक है। उनका कहना है कि दिनांक 16.06.2000 को चालक फोन कर सूचित किया कि वह गुलाबबाग से किशनगंज का परचुन का सामान लेकर जा रहा है। दिनांक 20.06.2011 तक चालक का कोई खबर नहीं आने के बाद वह उसी दिन सदर थाना में ट्रक के लापता होने का सनहा दर्ज कराया, जिसका नम्बर 572/2000 है। दिनांक 25.06.2000 को आवेदक को एक परिचित आलोक कुमार ने खबर किया कि उसकी गाड़ी के0 नगर थाना में खड़ी है। आवेदक वहाँ जाकर अपनी गाड़ी का पहचान किया और तदुपरान्त वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ से गाड़ी मुक्त करने का अनुरोध किया। आवेदक ने इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के नियमन का भी जिक्र किया, जिसके आधार पर जप्त लकड़ी का मुल्य ट्रक के मूल्य से काफी कम है, अतः ट्रक को मुक्त किया जाना चाहिए। चालक एवं खलासी गाड़ी छोड़कर भाग चुका था। आवेदक ने चालक को कभी अवैध सामान ढोने के लिए नहीं कहा था। आवेदक यह गाड़ी बैंक से ऋण के द्वारा लिया था और उसके परिवार के जीविका का यही एक मात्र स्त्रोंत था। किन्तु वन प्रमंडल पदाधिकारी ने आवेदक के कथन को नजर अंदाज कर ट्रक का राजसात किया, जो नियम के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी नियमन है कि यदि गाड़ी मालिक के सहमति के बगैर अवैध सामान ढोया जाता है, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी को मुक्त किया जाना चाहिए। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय से अभिलेख मँगवाकर गाड़ी को मुक्त करने की कृपा की जाय।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	श पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 24.10.2011 को सुनवाई की गयी। आवेदक के द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ के द्वारा पारित राजसात (जप्ती) आदेश को रद्द करने की मांग की गयी।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जप्त किये गये ट्रक वास्तविक में बिहार रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का निबंधन बोर्ड लगा हुआ था एवं वाहन के अन्दर एक हरियाणा राज्य का निबंधन बोर्ड उपलब्ध पाया। जप्त किये गये ट्रक किशनगंज के रास्ते में जाना था, परन्तु इसे के0 नगर क्षेत्र में जप्त किया गया। इससे स्पष्ट है कि गलत मंशा के साथ नाजायज कार्य हेतु इस ट्रक का प्रयोग किया गया। इससे वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा की गयी कार्रवाई सही है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में मात्र ट्रक चालक के बारे में विचार हुआ एवं उन्हें छोड़ दिया गया। परन्तु आवेदक के द्वारा की गयी अनियमितता को माफ नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा 6,00,000.00 रू0 बौण्ड के आधार पर वाहन को मुक्त कर दिया गया।

पुनः दिनांक 25.11.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के बाद स्पष्ट है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के आलोक में आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ